



W
45

दूरभाष- 2296709
2296710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : ३११ / ०५ / ७६ / एक / २०१३-१४
सेवा में,

दिनांक : ०८ अगस्त २०१३

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-मऊ।

विषय : वित्तीय वर्ष २०१३-१४ में सूडा द्वारा छूड़ा को अवमुक्त की गई धनराशि की सूचना। eA

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष २०१३-१४ में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी०सी० रोड अथवा इंटरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की रक्खापना योजना हेतु निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है:- (धनराशि लाख रु० में)

क्र०सं०	जनपद का नाम	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि	अभिकरण पर रोकी गई सेन्टेज की धनराशि	अवमुक्त धनराशि	बैंक/खाता संख्या (ट्रान्सफर धनराशि)
1	मऊ	न०पा०परि० मऊ	म०० अलीनगर (बड़ी कम्हरीया) के अन्तर्गत सेराजदीन के घर होते हुये कमरुददीन के घर तक इंटरलाकिंग एवं नाली निर्माण का कार्य।	5.65	0.62	5.03	PNB 0316000102404003
2	मऊ	न०पा०परि० मऊ	म०० अलीनगर (बड़ी कम्हरीया) के अन्तर्गत इश्तेखार के घर से जमशेद के घर होते हुये मंसूर के घर तक इंटरलाकिंग एवं नाली निर्माण का कार्य।	12.03	1.34	10.69	
3	मऊ	न०पा०परि० मऊ	म०० अलीनगर (बड़ी कम्हरीया) के अन्तर्गत कमलदीन के घर से रेयाज के घर होते हुये रेलवे लाइन तक इंटरलाकिंग एवं नाली निर्माण का कार्य।	18.69	2.08	16.61	
4	मऊ	न०पा०परि० मऊ	म०० अलीनगर (बड़ी कम्हरीया) के अन्तर्गत केदार के घर से ललू के घर तक इंटरलाकिंग एवं नाली निर्माण का कार्य।	13.31	1.48	11.83	
5	मऊ	न०प० अमिला	वार्ड नं-५ पुरानी पुलिस चौकी के पास पुलिया से बार्दपारा रोड पुलिया तक पक्का नाला निर्माण का कार्य।	6.03	0.67	5.36	
6	मऊ	न०प० अमिला	वार्ड-५ प्रेम सोनकर के मकान के पास से मोहतामीन तक इंटरलाकिंग एवं नाली निर्माण का कार्य।	4.17	0.46	3.71	
7	मऊ	न०प० अमिला	वार्ड-५ मोहम्मद समातुल्ला के घर से सी०सी० रोड तक इंटरलाकिंग एवं नाली निर्माण का कार्य।	4.11	0.46	3.65	
8	मऊ	न०प० अमिला	वार्ड नं-५ मो० रफीक के मकान से मा० तवी के मकान तक इंटरलाकिंग एवं नाली निर्माण का कार्य।	2.57	0.29	2.28	
9	मऊ	न०प० अमिला	वार्ड-५ हनीफ के घर से सी०सी० रोड तक इंटरलाकिंग एवं नाली निर्माण का कार्य।	6.07	0.67	5.40	

V

- २ -



दूरगांध— 2286709
2286710

नव वेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 2 -

10	मऊ	न०पं० अमिला	वार्ड नं० 5 मेन बाजार सी०सी० रोड रामचन्द्र तेली के मकान से नंप० शौचालय तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण का कार्य।	5.88	0.65	5.23	
11	मऊ	न०पं० अमिला	वार्ड नं० 8, महमूद खान के मकान से होते हुये राम समुज के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण का कार्य।	5.99	0.67	5.32	
12	मऊ	न०पं० अमिला	वार्ड-9 शशुद्धीन के मकान से सी०सी० रोड धर्चन्द्र के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण का कार्य।	6.74	0.75	5.99	
13	मऊ	न०पं० अमिला	वार्ड-9 अली अहमद के मकान से पुलिया से पोखरे तक पक्का नाला का निर्माण कार्य।	2.29	0.25	2.04	
14	मऊ	न०पं० अमिला	वार्ड नं० 9 हाजीदीन अली के मकान से अब्दुल कादिर के मकान होते हुये हाजीमुहम्मद अली के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण का कार्य।	5.13	0.57	4.56	
15	मऊ	न०पं० घोषी	वार्ड-7, करीमुदीनपुर में वसी अहमद अंसारी के घर से मुज्फ़र अंसारी के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण का कार्य।	20.63	2.29	18.34	
16	मऊ	न०पं० घोषी	वार्ड-11, बड़ा गांव में अयुब अंसारी के घर से मलिन बरस्ती तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण का कार्य।	9.32	1.04	8.28	
17	मऊ	न०पं० घोषी	वार्ड नं०-8 करीमुदीनपुर बगही में नाजीम मुम्ताज के मकान से छेदी के घर होते हुये सफुल्लाह अंसारी के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण का कार्य।	11.62	1.29	10.33	
18	मऊ	न०पं० घोषी	वार्ड-8 करीमुदीनपुर बगही समशाद के घर से हाजी मजहर के स्कूल मध्यवन मेने रोड तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण का कार्य।	23.19	2.58	20.61	
19	मऊ	न०पं० घोषी	वार्ड नं० -8 करीमुदीनपुर बगही में फकर आलम के घर से साहिद जमाल के आहते तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण का कार्य।	6.26	0.70	5.56	
20	मऊ	न०पं० घोषी	वार्ड नं० -8 करीमुदीनपुर बगही में अजमल अंसार के घर से हाफीज आसिम के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण का कार्य।	3.16	0.35	2.81	
21	मऊ	न०पं० घोषी	वार्ड नं० 8, करीमुदीनपुर बगही में नुरुल नगी अंसारी के अहाते से नसीम के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण का कार्य।	3.16	0.35	2.81	
22	मऊ	न०पं० घोषी	वार्ड नं० 8 करीमुदीनपुर बगही में हाजरी अंसारी के आते से छेदी के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण का कार्य।	6.24	0.69	5.55	
योग				182.24	20.25	161.99	

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

✓

- 3 -



दूरभाष— 2286709
2286710

नव घेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ—226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

— ३ —

- 1— उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी0पी0आर0/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2— स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3— स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 4— परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख—रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 5— योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2013—14 में अवश्य करा लिया जाये। तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 6— उक्त धनराशि छूड़ा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 7— प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 8— अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्यवर्तन अनुमन्य न होगा, अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,

(लाल प्रसाद सिंह)
वित्त नियन्त्रक

W

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. संयुक्त निदेशक, सूडा।।।
3. अधिकारी अभियन्ता—सूडा
4. कम्प्यूटर सेल—सूडा।।
5. लेखा विभाग—सूडा।।

(लाल प्रसाद सिंह)
वित्त नियन्त्रक

W